

उत्तराखण्ड शासन  
गृह अनुभाग-5  
संख्या: 104 /XX(5)/25-03(10)/2024-70795  
देहरादून: दिनांक 27 जनवरी, 2025

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 99, दिनांक 27 जनवरी 2025 द्वारा पारित समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड, 2025, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार से संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क/विलंब शुल्क/शास्ति एवं अर्थदंड आदि को जनमानस के लिए निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं :-

क्र०सं०	सेवाओं का नाम	शुल्क (रूपये में)
(क)	विवाह :	
1.	नियम 9(11)(क) और 9(11)(ख) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की पावती के लिए शुल्क।	250/-
2.	विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की पावती के लिए नियम 9(11)(घ) के अंतर्गत शुल्क, (तत्काल)।	2500/-
3.	नियम 9(11)(ग) के अंतर्गत विलम्ब शुल्क पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगा तथा इसकी गणना 90 दिनों तक की देरी के लिए की जाएगी, तथा 90 दिनों से अधिक की देरी के लिए।	200/-  400/- (विलंब के प्रत्येक पूर्ण एवं आंशिक रूप से पूर्ण तिमाही के लिए) अधिकतम रु. 10,000/-तक
(ख)	तलाक:	
4.	नियम 10(7)(क) के अंतर्गत तलाक या विवाह की अमान्यता के डिक्री के पंजीकरण के लिए शुल्क	250/-
5.	नियम 10(7)(ख) के अंतर्गत विलंब शुल्क पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगा और इसकी गणना 90 दिनों तक की देरी के लिए की जाएगी, और 90 दिनों से अधिक के लिए।	200/-  400/- (विलंब के प्रत्येक पूर्ण एवं आंशिक रूप से पूर्ण तिमाही के लिए) अधिकतम रु. 10,000/-तक।

(ग)	उत्तराधिकार :	
6.	नियम 12(7) के तहत बिना वसीयत के उत्तराधिकार के संबंध में कानूनी वारिस(यों) की घोषणा के लिए शुल्क।	250/-
7.	नियम 14(2)(ग) के तहत वसीयतनामा उत्तराधिकार विवरण के पंजीकरण के लिए शुल्क।	250/-
(घ)	सहवासी संबंध :	
8.	नियम 15(9) के अंतर्गत लिब-इन-रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए शुल्क।	500/-
9.	नियम 6(4)(ड) के अंतर्गत निर्धारित समय अवधि के पश्चात् सूचना अपडेट करने के लिए विलम्ब शुल्क।	1000/-
10.	नियम 16(5) के अंतर्गत लिब-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के लिए शुल्क।	500/-
(घ)	दण्ड	
11.	पंजीकृत विवाह के पंजीकरण या स्वीकृति में जानबूझकर चूक या लापरवाही के लिए नियम 7(1)(ड)(i) और 7(1)(ड) (ii) के अंतर्गत जुर्माना/दंड।	पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क के अलावा अधिकतम 10000/-तक
12.	तलाक या विवाह को निरस्त करने के आदेश के पंजीकरण के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने में जानबूझकर चूक या लापरवाही के लिए नियम 7(2)(घ)(i) के अंतर्गत जुर्माना/दंड।	पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क के अलावा अधिकतम 10000/-तक
13.	दूसरी बार झूठी शिकायत करने,और, तीसरी बार झूठी शिकायत करने पर नियम 20(2) के तहत जुर्माना।	5000/- 10,000/-
14.	नियम 20(8)(ग) के तहत किराया समझौता करने से पहले लिब-इन-रिलेशनशिप के प्रमाण पत्र/अनंतिम प्रमाण पत्र के उल्लंघन के लिए मकान मालिक को जुर्माना।	अधिकतम 20,000/-तक
(ड)	प्रमाणित प्रतियों हेतु शुल्क :	
15.	प्रमाणित उद्धरण (विवृत पहुंच) प्राप्त करने के लिए नियम 20(6)(क) के तहत शुल्क।	100/-
16.	प्रमाणित उद्धरण (प्रतिबंधित पहुंच) प्राप्त करने के लिए नियम 20(6)(ख) के तहत शुल्क।	500/-
17.	कानूनी उत्तराधिकारी की घोषणा की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए नियम 20(7) के अंतर्गत शुल्क।	150/-
18.	वसीयतनामा दस्तावेज़/बयान की घोषणा की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए नियम 20(7) के तहत शुल्क।	150/-

02. जिन ब्यक्तियों का विवाह इस संहिता के लाग होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, उनसे समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के लागू होने की तिथि से 06 माह तक उपरोक्त वर्णित पंजीकरण/अभिस्वीकृति शुल्क नहीं लिया जायेगा।

Signed by

Shailesh Bagauli

Date: 27-01-2025 19:04:17

(शैलेश बगौली)

सचिव।

संख्या: 104/XX(5)/25-03(10)/2024-70795 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष, यू0सी0सी0 क्रियान्वयन समिति, उत्तराखण्ड।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. स्थानिक आयुक्त/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), देहरादून, उत्तराखण्ड।
13. स्टेट हैड, सी0एस0सी0, एस0पी0वी0, उत्तराखण्ड।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by

Nivedita Kukreti

Date: 27-01-2025 19:08:20

(निवेदिता कुकरेती)

अपर सचिव।